संख्या-325/2024/3003/22-2-2023-17(338)/2022

प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 नवम्बर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विक्रम पुत्र श्री रामू उर्फ राम अवतार, निवासी जनपद-गाजियाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-23256/प्रो(6)/227(स्वतंत्रता-दिवस,2023), दिनांक 17.07.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी विक्रम पुत्र श्री रामू उर्फ राम अवतार, निवासी-ग्राम-खगौड़ा, थाना-धौलाना, जनपद-गाजियाबाद का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 24.06.2002 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर रीना नामक (8 वर्षीय) बालिका के साथ बलात्कार किया व गला दबाकर मार डाला तथा नग्न अवस्था में ही अपने घर के आंगन के कोने में गड्ढ़ा खोदकर दबा दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1052/2002 में भा0द0वि0 की धारा-376(2)(जी), 302/34, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 29.04.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दंण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.08.2023 तक अपरिहार 21 वर्ष 01 माह 20 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष 00 माह 00 दिन की सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा बंदी का अपराध 08 वर्षीय बालिका के साथ निर्ममता पूर्वक बलात्कार कर हत्या जैसा घृणित, जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मशार करने वाला अपराध, समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 15.08.2023 तक बंदी की 40 वर्ष 03 माह की आयु, बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विक्रम (बन्दी संख्या-11681) पुत्र श्री रामू उर्फ राम अवतार, निवासी-ग्राम-खगौड़ा, थाना-धौलाना, जनपद-गाजियाबाद की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।